6

आय का एकत्रीकरण, हानियों की पूर्ति व आगे ले जाना

[AGGREGATION OF INCOME, SET-OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES]

अध्ययन परिणाम (Learning Outcomes)
इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप समझ पायेंगे :
❑ अन्त : स्रोत व अन्त : शीर्षक स्वीकार्य समायोजनों की पहचान करना।
❑ अन्त : स्रोत व अन्तः शीर्षक हानियों की पूर्ति पर प्रतिबन्धों की जानकारी।
❑ विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत हानि–पूर्ति की शर्तों को समझना।
❑ हानियों को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि।
❑ हानियों की पूर्ति का क्रम निर्धारित करना।
❑ ऊपर वर्णित प्रावधानों को करदाता की कुल आय निर्धारण में उपयोग करना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

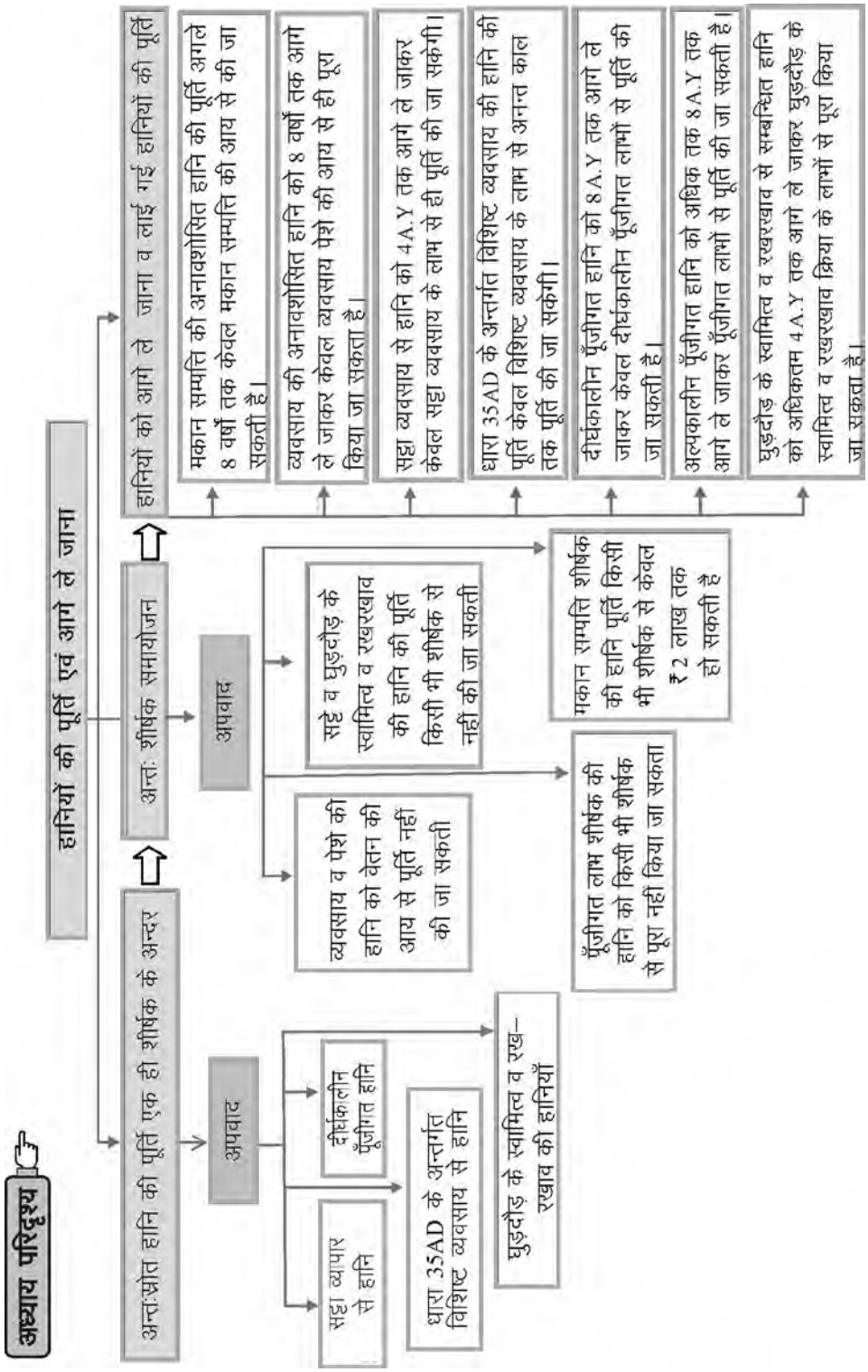

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. आय का समग्रीकरण (Aggregation of Income)

कुछ मामलों के कुछ राशियाँ करदाता के नाम में आय मानी जाती हैं यद्यपि वे आय की प्रकृति की नहीं हैं। ये मामले धाराओं 68,69,69 A, 69 B, 69 C, व 69 D में हैं। इनका विस्तार से वर्णन अध्याय 1 में है। ऐसे मामलों में कर–निर्धारण अधिकारी करदाता को स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं। यदि करदाता कोई स्पष्टीकरण न दे या स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न हो तो इन धाराओं में वर्णित राशियाँ करदाता की आय मानी जाएंगी। ऐसी राशियों को करदाता की आय के साथ जोड़ा जाता है।

2. हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने की अवधारणा (Concept of Set-off and Carry Forward of Losses)

आय कर अधिनियम, 1961 में हानियों की पूर्ति व आगे ले जाने के विशेष प्रावधान रखे गए हैं। पूर्ति करने का अर्थ है लाभों से हानियों का एक ही कर निर्धारण वर्ष में दूसरे स्रोत या शीर्षक से समायोजन। यदि हानियों की पूर्ति उसी वर्ष के अपर्याप्त लाभों के कारण न हो सके, तो ऐसी हानियों को अगले कर–निर्धारण वर्ष के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने की अधिकतम अवधि को अधिनियम में दिया गया है।

3. अन्तः स्रोत समायोजन (धारा 70) [Inter Source Adjustment (Section 70)]

(i) अन्तः स्त्रोत की हानियों की पूर्ति (Inter-source set-off of Losses) : इस धारा के अन्तर्गत, करदाता की एक स्रोत की हानि उसी शीर्षक के अन्तर्गत दूसरे स्रोत से पूरा कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक शीर्षक की आय की गणना उस शीर्षक की समस्त क्रियाओं को एक साथ मिलाकर की जाती है। सरल शब्दों में, एक ही शीर्षक के दो स्रोतों के मध्य हानि का समायोजन दूसरे स्रोत के लाभ से हो सकता है।

उदाहरण 1 : एक मकान से हानि की पूर्ति दूसरे मकान की आय से हो सकती है।

उदाहरण 2 : एक व्यवसाय माना वस्त्र उद्योग की पूर्ति दूसरे व्यवसाय माना प्रिन्टिंग से हो सकती है क्योंकि दोनों स्रोत एक ही शीर्षक, व्यवसाय व पेशे के लाभ में आते हैं। इस प्रकार, एक व्यवसाय की हानि की पूर्ति दूसरे व्यवसाय के लाभ से एक ही वर्ष में हो सकती है।

(ii) अन्तः स्त्रोत हानि की पूर्ति अस्वीकार्य है (Impermissible inter-source set-off) : लेकिन निम्न मामलों में अन्तः स्रोत हानि की पूर्ति की अनुमति नहीं है;

(a) **दीर्घकालीन पूँजीगत हानि [धारा 70(3)]** [Long-term capital loss {Section 70(3)}]

अल्पकालीन पूँजीगत हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूँजी आय व अल्पकालीन पूँजीगत आय दोनों से लेकिन दीर्घकालीन पूँजीगत हानि की पूर्ति केवल दीर्घकलीन पूँजीगत आय से ही हो सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) **सट्टा हानि [धारा 73(1)]** [Speculation loss {Section 73(1)}]

किसी एक सट्टा व्यवसाय की हानि के दूसरे सट्टा व्यवसाय से पूरा कर सकते हैं, लेकिन अन्य व्यवसाय या पेशे की आय से नहीं।

लेकिन अन्य व्यवसायों की हानि की पूर्ति सट्टा व्यवसाय के लाभों से की जा सकती है।

(c) **घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव कार्य से हानि [धारा 74A(3)]** [Loss from the activity of owning and maintaining race horses {Section 74A(3)}]

ऐसी हानि को केवल घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव क्रिया के लाभों से ही पूरा किय जा सकता है।

(d) **विशिष्ट व्यवसाय से हानियाँ [धारा 73A(1)]** [Losses from Specified business {Section 73A(1)}]

धारा 35AD में वर्णित विशिष्ट व्यवसाय की हानियों की पूर्ति किसी अन्य विशिष्ट व्यवसाय से हो सकती है।

अन्य व्यवसायों से हानि की पूर्ति विशिष्ट व्यवसायों के लाभों से की जा सकती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि कर मुक्त स्त्रोत से हानि की आय के कर योग्य स्त्रोत से लाभ के अधीन पूर्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए, साझेदारी फर्म से हानि के भाग की पूर्ति व्यावसायिक आय नहीं होगी, चूंकि फर्म से आय का भाग धारा 10(2A) के तहत कर मुक्त होता है।

4. अन्तःशीर्षक समायोजन [धारा 71] [Inter Head Adjustment (Section 71)]

एक शीर्षक की हानि का समायोजन दूसरे शीर्षक के लाभों से हो सकता है। लेकिन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

(i) **पूँजी लाभ को छोड़कर किसी भी शीर्षक की हानि** (Loss under any head other than capital gains) : यदि किसी आय के शीर्षक (पूँजी लाभों से आय को छोड़कर) में हानि हो तो करदाता ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक से कर सकता है जिसमें पूँजी लाभ शीर्षक भी शामिल है।

(ii) **व्यवसाय व पेशों के लाभों के शीर्षक में हानि** (Loss under the head "Profits and gains from business or profession) : जहाँ व्यवसाय व पेशों के लाभों के शीर्षक में हानि हो तो इसकी पूर्ति वेतन से आय शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती।

(iii) **पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानि** (Loss under the head "Capital Gains") : जहाँ 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत हानि हो तो ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं हो सकती।

(iv) **मकान सम्पत्ति के शीर्षक का अन्तर्गत हानि** (Loss under the head "Income from house property") : जहाँ मकान सम्पत्ति के शीर्षक के अन्तर्गत हानि है तो ऐसी हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की करयोग्य आय से हो सकती है। ऐसी हनि की राशि की पूर्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

किसी अन्य शीर्षक की आय से ₹ 2 लाख से अधिक नहीं होगी। अन्य शब्दों में, अन्य शीर्षक के लाभ से मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति की अधिकतम सीमा ₹ 2 लाख है।

(v) सट्टे की हानि, घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव कार्य की हानि तथा धारा 35AD में वर्णित विशिष्ट व्यवसाय की हानियों को अन्य शीर्षक से पूरा नहीं किया जा सकता।

उदाहरण (Illustration) 1

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के सम्बन्ध में श्री A (उम्र 35 वर्ष) निम्नलिखित विवरण दाखिल करते हैं :

विवरण	₹
वेतन से आय	4,00,000
निजी रिहायशी मकान की हानि	(–) 70,000
किराए पर मकान से हानि	(–) 1,50,000
व्यावसायिक हानि	(–) 1,00,000
बैंक ब्याज (FD)	80,000

A.Y. 2020-21 के लिए A की कुल आय की गणना करें।

हल (Solution)

A की A.Y. 2020-21 की कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन से आय	4,00,000	
घटाएं : मकान सम्पत्ति से हानि ₹ 2,20,000 धारा 71 (3A) अन्तर्गत सीमा	(–) 2,00,000	2,00,000
₹ 20,000 की बाकी हानि को अगले A.Y. में ले जाया गया		
अन्य स्रोतों से आय (FD पर ब्याज)	80,000	
व्यावसायिक हानि की पूर्ति	(–) 1,00,000	
व्यावसायिक हानि ₹ 20,000 आगे ले गए		
सकल कुल आय (नीचे नोट देखें)		**2,00,000**
घटाएं : अध्याय VIA की छूट		शून्य
कुल आय		**2,00,000**

नोट : सकल कुल आय में मकान सम्पत्ति की ₹ 2 लाख हानि के समायोजन के पश्चात् वेतन आय शामिल हैं। मकान सम्पत्ति से शेष हानि ₹ 20,000 को आगे ले जाया जाएगा।

₹ 1 लाख की व्यावसायिक हानि FD के ₹ 80,000 ब्याज से पूरी की गई है तथा शेष ₹ 20,000 को आगे ले जाएंगे क्योंकि इसकी पूर्ति वेतन की आय से नहीं की जा सकती।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. मकान सम्पत्ति से हानि की पूर्ति एवं आगे ले जाना (धारा 71B) [Set-off and Carry Forward of Loss from House Property (Section 71B)]

(i) पूर्ति तथा आगे ले जाना एवं हानि की पूर्ति (Set-off and Carry Forward & Set-off of losses) : यदि किसी कर निर्धारण वर्ष में मकान सम्पत्ति से आय शीर्षक में हानि हो तो इसकी पूर्ति किसी अन्य शीर्षक से उसी वर्ष ₹ 2 लाख तक की जा सकती है। अनावशोषित हानि को अगले कर निर्धारण वर्ष में मकान सम्पत्ति की आय में पूरी करने के लिए आगे ले जाया जाएगा।

(ii) हानि की पूर्ति तथा आगे ले जाने की अधिकतम अवधि (Maximum period for carry forward & set-off of losses) : इसी शीर्षक की हानि को हानि के वर्ष के अगले 8 वर्षों तक पूरा करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

उदाहरणार्थ, मकान सम्पत्ति की हानि को उसी वर्ष दूसरे मकान की आय से समायोजित किया जा सकता है। दूसरे शीर्षक की आय से उसी वर्ष ₹ 2 लाख तक की हानि पूरी की जा सकती है लेकिन इसके पश्चात् भी यदि हानि है तो उसे मकान सम्पत्ति की आय से ही पूरा करने के लिए अगले वर्ष आगे ले जाया जाएगा।

नोट : यह स्मरण योग्य है कि एक बार किसी हानि को आगे ले जाने पर उसकी पूर्ति अगले वर्षों में उसी शीर्षक की आय से होगी।

6. व्यावसायिक हानियों को आगे ले जाना व पूरा करना (धारा 72 व 80) [Carry Forward and Set-off of Business Losses (Section 72)]

अधिनियम के अन्तर्गत करदाता को अव्यावसायिक हानियों को आगे ले जाने का अधिकार है जिन्हें अन्य किसी शीर्षक से उसी वर्ष की आय पर्याप्त न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। ऐसी आगे लाई गई हानि को अगले वर्षों के लाभों से पूरा कर सकते हैं।

धारा 72 में व्यावसायिक हानियों के आगे ले जाकर पूरा करने का वृतान्त हैं।

शर्तें (Conditions)

व्यावसायिक हानियों को आगे ले जाने का इस धारा के अन्तर्गत अधिकार निम्न शर्तें की अधीन है :

(i) हानि व्यवसाय, पेशा या अन्य किसी व्यापार से होनी चाहिए।

(ii) हानि सट्टे की प्रकृति के व्यवसाय से नहीं होनी चाहिए।

(iii) आगे लाई गई व्यवसाय की हानि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यवसाय व पेशे के लाभ से पूरी की जा सकती है (Loss from one business can be carried forward & set-off against the income from any other business) : हानि को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसी व्यवसाय व पेशे से पूरी की जाय जिसमें वह हुई हो। लेकिन आगे लाई गई हानि किसी भी परिस्थिति में व्यवसाय व पेशे के लाभों के अलावा अन्य शीर्षक की आय से पूरी नहीं की जाएगी।

(iv) व्यक्ति जो हानि अकेला वह करता है वह हानि की पूर्ति आ आगे ले जाने के लिए समर्थ होगा (Person who incurred the loss alone is entitled to carry forward & set-off the loss) : निर्धारिती के लाभों के अधीन ही केवल हानियों की पूर्ति या आगे ले जाया जाएगा जिसे हानि हुई है अर्थात् केवल व्यक्ति जिसे हानि हुई है वही उसकी पूर्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

या आगे ले जा सकता है। इसके फलस्वरूप व्यवसाय का उत्तराधिकारी पूर्वाधिकारी के हानियों की पूर्ति या आगे नहीं ले जा सकता सिवाय विरासत द्वारा उत्तराधिकार के मामले में।

(v) हानि की पूर्ति तथा आगे ले जाने की अधिकतम अवधि (Maximum period for carry forward and set-off of losses) : एक व्यावसायिक हानि को हानि के वर्ष के अगले 8 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है।

उदाहरण (Illustration) 2

B एक निवासी व्यक्ति है जो कर गत वर्ष 2019-20 के लिए निम्न विवरण प्रदान करते हैं :

विवरण	*₹*
वेतन से आय (शुद्ध)	*4,5000*
मकान सम्पत्ति से आय	*(24,000)*
व्यवसाय से आय गैर सट्टा व्यवसाय	*(22,000)*
सट्टा व्यवसाय से आय	*(4,000)*
अल्पकालीन पूँजीगत हानि	*(25,000)*
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	*(19,000)*

2020-21 कर निर्धारण वर्ष की कुल आय की गणना करें।

हल (Solution)

श्रीमान B की A.Y.2020-21 की कुल आय

विवरण	₹	₹
वेतन से आय	45,000	
मकान सम्पत्ति से आय	(24,000)	21,000
व्यवसाय व पेशे के लाभ		
व्यवसाय हानि आगे ले जाना **(नोट 1)**	(22,000)	
सट्टे व्यवसाय की हानि आगे लेना **(नोट 2)**	(4,000)	
पूँजीगत लाभ		
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	19,000	
अल्पकालीन पूँजीगत हानि	(25,000)	
अल्पकालीन पूँजीगत हानि आगे ले जाना **(नोट 3)**	(6,000)	
कर योग्य आय		**21,000**

नोट 1 : व्यावसायिक हानि की पूर्ति वेतन आय से नहीं हो सकती। अतः गैर–सट्टा व्यवसाय हानि वेतन से पूरी नहीं हो सकती। इस हानि को अगले वर्ष के व्यवसाय लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जाना होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

नोट 2 : सट्टा व्यवसाय की हानि ₹ 4,000 की पूर्ति केवल सट्टा व्यवसाय के लाभों से हो सकती है। अतः इस हानि को आगे ले जाना होगा।

नोट 3 : अल्पकालीन पूँजीगत हानि को दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार के लाभों से पूरा किया जा सकता है। अतः ₹ 25,000 की अल्पकालीन हानि को ₹ 19,000 के लाभ से पूरा किया जा सकता है। शेष ₹ 6,000 की अल्पकालीन हानि को पूरा करने के लिए आगे ले जाना होगा ताकि अल्पकालीन या दीर्घकालीन लाभों से पूर्ति हो सके।

7. सट्टा व्यवसाय की हानियाँ (धारा 73) [Losses in Speculation Business (Section 73)]

'सट्टा व्यवहार' वाक्यांश को धारा 43(5) में परिभाषित किया गया है तथा इससे होने वाली आय सम्बन्धी व्यवहार का वर्णन 'व्यवसाय व पेशे के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है।

(i) सट्टा व्यवसाय की हानि की पूर्ति तथा उसको आगे ले जाना (Set-off and Carry forward and set-off of loss from speculation business) : क्योंकि सट्टा व्यवसाय को अन्य व्यवसायों से अलग समझा जाता है, तो इससे सम्बन्धित हानि को किसी गैर–सट्टा व्यवसाय की आय से न तो उसी वर्ष में और न ही अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता न ही उसे अगले वर्षों में अन्य आय से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकते।

इसलिए सट्टे व्यवसाय की हानि की पूर्ति उसी वर्ष के केवल सट्टे व्यवसाय की आय से तथा अगले वर्षों में भी केवल सट्टे व्यवसाय की आय से पूर्ति करने के लिए आगे ले जा सकते हैं जो कर दाता द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) हानि की पूर्ति तथा आगे ले जाने की अधिकतम अवधि (Maximum period for carry forward and set-off of losses) : सट्टे व्यवसाय की हानि को गणना के वर्ष से अगले 4 वर्षों तक अधिकतम आगे ले जा सकते हैं। व्युत्पन्न सम्पत्ति (derivature) व्यापार क्रिया से हानि को सट्टा व्यापार की हानि नहीं माना जाता है।

(iii) जहाँ किसी कम्पनी के व्यवसन को सट्टा व्यवसाय माना गया है (When a business of a company deemed to be carrying on a speculation business:) : इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार यदि किसी कम्पनी के व्यवसाय के किसी भाग में दूसरी कम्पनियों के अंशों के क्रय–विक्रय का कार्य शामिल हो तो ऐसी कम्पनी के व्यवसाय के उतने ही हिस्से को सट्टा व्यवसाय मानेंगे जितना अंशों के क्रय–विक्रय से सम्बन्धित हो।

लेकिन यह 'मान्य' प्रावधान निम्न कम्पनियों पर लागू नहीं है–

(1) जिन कम्पनियों की सकल कुल अन्य में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज', मकान सम्पत्ति से आय, 'पूँजी लाभ' व अन्य स्रोतों से आय' शीर्षकों की आय शामिल है।

(2) जिन कम्पनियों का मुख्य व्यवसाय है–

(i) अंशों में व्यापार; या

(ii) बैंकिंग व्यवसाय; या

(iii) ऋण एवं अग्रिम देना

© The Institute of Chartered Accountants of India

इस प्रकार इस कम्पनियों को स्पष्टीकरण लागू होने से मुक्त रखा गया है।

तदनुसार, यदि ये कम्पनियाँ दूसरी कम्पनियों के अंश क्रय–विक्रय करने का व्यवसाय करती हैं तो उन्हें सट्टा व्यवसाय करने वालों की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।

8. विशिष्ट व्यवसायों की हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना (धारा 73A) [Carry Forward and Set off of Losses by Specified Businesses (Section 73A)]

(i) **विशिष्ट व्यवसायों की हानि की पूर्ति या आगे ले जाना अथवा पूर्ति करना** : धारा 35AD में संदर्भित व्यवसायों के सम्बन्ध में अभिकलित हानि की पूर्ति किसी अन्य विशिष्ट व्यवसायों के लाभों से ही की जाएगी।

यदि कोई अनावशोषित लाभ हो तो विशिष्ट व्यवसायों के लाभों से अगले वर्षों में पूरा करने के लिए उन्हें आगे ले जाएंगे।

(ii) **हानि की अनिश्चित काल तक पूर्ति** : आगे ले जाकर पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं है अतः ऐसी हानियों को विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरा करने के लिए अनिश्चित काल तक आगे ले जा सकते हैं।

नोट : धारा 35AD के अन्तर्गत छूट के दावों को जो विशिष्ट व्यवसायों के लाभों से हानि की पूर्ति के सम्बन्ध में हैं को धारा 73A के अन्तर्गत इस बात की परवाह किए बिना पूरा किया जा सकता है कि धारा 35AD में वह पात्र है अथवा नहीं। अतः कोई अस्पताल या होटल जिसने अपना संचालन 1 अप्रैल, 2010 के पश्चात् शुरू किया हो जिसमें अस्पताल कम से कम 100 बिस्तर तथा होटल 2 स्टार या उच्चतर श्रेणी का हो) अपनी हानि की पूर्ति अगले वर्षों में आगे ले जाकर कर सकते हैं चाहे वे धारा 35AD में इसके पात्र हों या नहीं।

9. पूँजीगत लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानियाँ (धारा 74) [Losses Under the head 'Capital Gains' (Section 74)]

हानि की पूर्ति तथा आगे ले जाना (Carry forward and set-off of losses) : धारा 74 के अन्तर्गत यदि 'पूँजीगत लाभ' शीर्षक में अल्पकालीन पूँजीगत या दीर्घकालीन पूँजीगत हानि हो तो उसे अलग वर्षों में पूरा करने के लिए आगे ले जा सकते हैं जिसकी विधि निम्न प्रकार है :

(i) अल्पकालीन हानि (Short-term capital loss) : यदि आगे लाई गई हानि अल्पकालीन है तो इसकी पूर्ति उस वर्ष के अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के लाभों से हो सकती है।

(ii) दीर्घकालीन हानि (Long-term capital loss) : यदि लाई गई हानि दीर्घकालीन है तो उसकी पूर्ति उस वर्ष के दीर्घकालीन लाभों से ही हो सकती है।

(iii) पूँजी लाभ शीर्षक की हानि (Loss under head capital gains) : 'पूँजी लाभ' शीर्षक की शुद्ध हानि की पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती।

(iv) हानि की पूर्ति और उसको आगे ले जाने की अधिकतम अवधि (Maximum period for carry forward & set-off of loss) : अगले वर्षों के लिए आगे लाई गई अनावशोषित

© The Institute of Chartered Accountants of India

हानि को उसके अभिकलन वर्ष के अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाकर पूरा किया जा सकता है।

नोट– 1 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से, समता अंशों या इक्विटी उन्मुख फण्ड की इकाई या व्यावसायिक ट्रस्ट की इकाई की बिक्री से अर्जित ₹ 1,00,000 से अधिक दीर्घकालीन पूँजी लाभ, जिस पर STT का भुगतान होता है–

– समता अंशों के सम्बन्ध में, अधिग्रहण और बिक्री दोनों के समय पर तथा

– इक्विटी उन्मुख फण्ड की इकाई या व्यवसायिक ट्रस्ट की इकाई के सम्बन्ध में, बिक्री के समय पर

धारा 112A के तहत 10% की दर से करित होता है। ऐसे अंशों/इकाइयों की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति या आगे ले जाने पर पूर्ति केवल धारा 74 और धारा 70(3) के अधीन दीर्घकालीन पूँजी लाभ से होगी।

उदाहरण (Illustration) 3

गतवर्ष 2019-20 के दौरान श्री C की निम्न आयें व आगे लाई गई हानियाँ हैं :

विवरण	₹
अंशों की बिक्री पर अल्पकालीन पूँजी लाभ	*1,50,000*
A.Y. 2018-19 दीर्घकालीन पूँजीगत हानि	*(96,000)*
A.Y. 2019-20 की अल्पकालीन पूँजीगत हानि	*(37,000)*
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	*75,000*

A.Y. 2020-21 में C की कुल आय में योग्य पूँजीगत लाभ की गणना करें।

हल (Solution)

A.Y. 2020-21 में C के कर योग्य पूँजीगत लाभ

विवरण	₹	₹
अंशों के विक्रय पर अल्पकालीन लाभ	1,50,000	
घटाया : A.Y. 2019-20 की आगे लाई गई अल्पकालीन पूँजीगत हानि	(37,000)	1,13,000
दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ	75,000	
A.Y. 2018-19 की आगे लाई गई हानि (नीचे नोट देखें)	(75,000)	शून्य
कर योग्य अल्पकालीन लाभ		**1,13,000**

नोट : दीर्घकालीन पूँजीगत हानि की पूर्ति अल्पकालीन लाभों से नहीं हो सकती। अतः A.Y. 2018-19 की दीर्घकालीन असमायोजित हानि (₹ 21,000 ₹ 96,000 – ₹ 75,000) को अगले वर्ष के दीर्घकालीन लाभ से पूरा करने के लिए आगे ले जाना होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव कार्य से हानि [धारा 74A (3)] [Losses from the Activity of Owning and Maintaining Race Horses {Section 74A(3)}]

(i) **हानियों की पूर्ति या आगे ले जाना अथवा पूर्ति** (Set-off and Carry forward & set-off of loss) : धारा 74A(3) के अनुसार घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव की हानियों को केवल घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव के लाभों से पूरा करने के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत या शीर्षक से पूरा नहीं किया जा सकता।

(ii) **हानियों की पूर्ति या आगे ले जाने के लिए अधिकतम अवधि** (Maximum period for carry forward & set-off of losses) : ऐसी हानि को घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव के लाभों से पूरा करने के लिए अगले 4 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जाकर पूरा किया जा सकेगा।

(iii) **कुछ शब्दों का अर्थ** (Meaning of certain terms)

शब्द	अर्थ
घुड़दौड़ के लिए घोड़ों के रखरखाव और भरणपोषण के क्रिया में निर्धारिती द्वारा व्ययित हानि की राशि	**(i) यदि स्टेक मनी के माध्यम से निर्धारिती को कोई आय प्राप्त नहीं होती**–घुड़दौड़ के रखरखाव के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से निर्धारिती द्वारा व्ययित रिवेन्यु व्ययों की राशि **(ii) यदि स्टेक मनी के माध्यम से निर्धारिती को आय प्राप्त होती** है–घुड़दौड़ के रखरखाव के उद्देश्य के लिए पूर्णतः और विशेष रूप से निर्धारिती द्वारा व्ययित रिवेन्यु व्ययों की राशि का कम होने वाली स्टेक मनी के माध्यम से उस आय द्वारा राशि अर्थात् हानि = स्टेक मनी – घुड़दौड़ के रखरखाव के उद्देश्य के लिए रिवेन्यु व्यय
घुड़दौड़	घुड़दौड़ जिस पर दाँव और शर्त कानूनी रूप से होती है।
स्टेक मनी के माध्यम से आय	घोड़े या घोड़ों या किसी एक या एक से अधिक घोड़ों की जीत पर या द्वितीय स्थान पर आने पर या घुड़दौड़ में किसी नीची क्रम में आने के आधार पर मालिक द्वारा घुड़दौड़ या घोड़े की दौड़ों पर प्राप्त उपहार मूल्य की सकल राशि

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 4

श्री D की गत वर्ष 2019-20 की आय निम्न प्रकार है :

विवरण	*₹*
घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव कार्य से आय	*75,000*
वस्त्र व्यवसाय से आय	*85,000*
वस्त्र व्यवसाय की आगे लाई गई हानि (AY 2019-20 से सम्बन्धित)	*50,000*
घुड़दौड़ सम्बन्धी व्यवसाय के स्वामित्व व रखरखाव से A.Y. 2017-18 की हानि	*96,000*

श्री D की 2020-21 कर निर्धारण वर्ष की कुल आय क्या होगी?

हल (Solution)

D की A.Y. 2020-21 के लिए कुल आय

विवरण	₹	₹
घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव से आय	75,000	
घटाया : घुड़दौड़, स्वामित्व व रखरखाव से आगे लाई गई हानि	(96,000)	
A.Y. 2021-22 में ले जाने वाली हानि	(21,000)	
वस्त्र व्यवसाय की आय	85,000	
घटाया : वस्त्र व्यवसाय से लाई गई हानि	(50,000)	35,000
कुल आय		**35,000**

नोट : घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व व रखरखाव की हानि को अन्य किसी स्रोत/शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते।

11. हानि पूर्ति का क्रम (Order of Set-off of Losses)

धारा 72(2) के अनुसार आगे लाई गई हानि को अनावशोषित ह्रास से पूर्व पूरी की जाएगी। अतः हानि पूर्ति का क्रम निम्न प्रकार से होगा–

(a) चालू वर्ष का ह्रास/चालू वर्ष का वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजीगत व्यय और परिवार नियोजन पर चालू वर्ष का व्यय जिस सीमा तक अनुमति योग्य हो।

(b) व्यवसाय/पेशे से लाई गई हानि [धारा 72(1)]

(c) अनावशोषित ह्रास [धारा 32(2)]

(d) वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनावशोषित पूँजीगत व्यय [धारा 35(4)]

(e) परिवार नियोजन पर अनावशोषित व्यय [धारा 36(1)(ix)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण (Illustration) 5

श्रीमान E ने A.Y. 2020-21 का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया है :

विवरण	*₹*
वेतन से आय	*1,50,000*
सट्टा व्यवसाय से हानि	*60,000*
गैर–सट्टा व्यवसाय से हानि	*(40,000)*
अल्पकालीन पूँजीगत हानि	*80,000*
A.Y. 2018-19 की दीर्घकालीन हानि	*(30,000)*
लॉटरी से आय	*20,000*

A.Y. 2020-21 की श्रीमान E की कर योग्य आय की गणना कीजिए।

हल (Solution)

श्री मान **E की A.Y. 2020-21 को कर योग्य आय की गणना**

विवरण	₹	₹
वेतन से आय		1,50,000
सट्टा व्यवसाय से आय	60,000	
घटाया : गैर–सट्टा व्यवसाय से हानि	(40,000)	20,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ		80,000
लॉटरी से आय		20,000
कर योग्य आय		**2,70,000**

नोट : दीर्घकालीन पूँजीगत हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही पूरा कर सकते हैं। अतः ₹ 30,000 का दीर्घकालीन पूँजी हानि अगले वर्षों में पूरा करने के लिए आगे ले जाया जाएगा।

12. हानियों की विवरणी दाखिल करना (धारा 80) [Submission of Return of Losses (Section 80)]

धारा 80 के अनुसार, धारा 72(1) के तहत व्यवसाय हानि, धारा 72(2) के तहत सट्टेबाजी व्यवसाय हानि, धारा 73A(2) के तहत विस्तृत व्यवसाय से हानि, धारा 74(1) के तहत ''पूंजीगत लाभ'' शीर्षक में हानि तथा धारा 74A(3) के तहत दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व या रखरखाव से हानि, जो धारा 139(3) के तहत दायर विवरणी के अनुसरण में निर्धारित नहीं किया गया है उसे आगे ले जाया जा सकता है और सैट–ऑफ (set-off) किया जा सकता है। इस प्रकार, निर्धारिती को धारा 139(3) के तहत हानि की विवरणी दाखिल करनी चाहिए ताकि इस तरह की हानि को आगे ले जाया या सेट ऑफ किया जा सके।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऐसी हानि की विवरणी धारा 139(1) के तहत अनुमत समय के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। हालांकि, यह शर्त धारा 71B के तहत गृह सम्पत्ति से हानि को आगे ले जाने तथा धारा 32(2) के तहत अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने पर लागू नहीं होगी।

अभ्यास
(EXERCISE)

प्रश्न (Question) **1**

श्रीमान F की A.Y. 2020-21 के लिए निम्नलिखित सूचना से सकल कुल आय की गणना कीजिए :

विवरण	₹
मकान सम्पत्ति से (अभिकलित) आय	*1,25,000*
व्यवसाय से आय (ह्रास का आयोजन करने से पूर्व)	*1,35,000*
अंश–विक्रय पर अल्पकालीन लाभ	*56,000*
सम्पत्ति विक्रय पर दीर्घकालीन हानि (A.Y.2019-20 से लाई गई)	*(90,000)*
चाय व्यवसाय से आय	*1,20,000*
कृषि क्रियाएँ संचालित करने वाली भारतीय कम्पनियों से लाभांश	*80,000*
गतवर्ष ह्रास	*26,000*
लाई गई व्यावसायिक हानि (6 वर्ष पूर्व की हानि)	*(45,000)*

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 के लिए F की सकल कुल आय

विवरण	₹	₹
मकान सम्पत्ति से आय (अभिकलित)		125,000
व्यवसाय से आय		
ह्रास से पूर्व लाभ	1,35,000	
घटाएँ : चालू वर्ष का ह्रास	26,000	
घटाएँ : लाई गई व्यावसायिक हानि	45,000	
	64,000	
चाय व्यवसाय से आय (40% व्यावसायिक आय)	48,000	1,12,000
अल्पकालीन पूँजी लाभ		56,000
सकल कुल आय		**2,93,000**

नोट :

(1) भारतीय कम्पनियों से लाभांश धारा 10(34) के अन्तर्गत ₹ 10 लाख की सीमा तक कर मुक्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) चाय के व्यवसाय से आय का 60% कृषि आय माने जाने के कारण कर मुक्त है।

(3) दीर्घकालीन पूँजीगत हानि को केवल दीर्घकालीन पूँजीगत लाभों से ही पूरा कर सकते हैं। अतः A.Y.2019-20 से आगे लाई गई दीर्घकालीन हानि की ₹ 90,000 की राशि की पूर्ति 2020-21 में नहीं हो सकी क्योंकि उस वर्ष में दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ नहीं हैं। इसको A.Y.2021-22 में यदि कोई दीर्घकालीन लाभ होंगे तो उनसे पूरा करने के लिए आगे ले जाएंगे।

प्रश्न (Question) **2**

श्रीमान सोहन A.Y. 2020-21 के लिए आय का निम्न ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं :

विवरण	₹
वेतन से आय	*3,00,000*
किराए पर दी गई मकान सम्पत्ति से हानि	*(–) 40,000*
चीनी व्यवसाय से आय	*50,000*
लौह–अयस्क व्यवसाय की हानि (गत वर्ष 2014-15 में बन्द किया)	*(–) 1,20,000*
अल्पकालीन पूँजीगत हानि	*(–) 60,000*
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	*40,000*
लाभांश	*5,000*
लॉटरी से प्राप्त आय (सकल)	*50,000*
कार्ड गेम्स से आय (सकल)	*6,000*
कृषि आय	*20,000*
अंशों के क्रय–विक्रय से पूँजी लाभ (क्रय व विक्रय पर STT का भुगतान किया गया)	*10,000*
धारा 111A के अन्तर्गत अल्पकालीन पूँजी हानि	*– 10,000*
बैंक ब्याज	*5,000*

सकल कुल आय एवं आगे ले जाने वाली हानियों की गणना कीजिए।

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 के लिए सोहन की सकल कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन		
वेतन से आय	3,00,000	
घटाएँ : धारा 71 के अनुरूप मकान सम्पत्ति से हानि की पूर्ति वेतन की आय से	(40,000)	2,60,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

व्यवसाय या पेशे से लाभ		
चीनी व्यवसाय से आय	50,000	
घटाएँ : धारा 72(1) अन्तर्गत लौह–अयस्क व्यवसाय की आगे लाई गई हानि	(50,000)	शून्य
शेष व्यावसायिक हानि ₹ 70,000 जो 2014-15 से आगे लाई गई A.Y 2021-22 में आगे ले गए		
पूँजी लाभ		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	40,000	
सूचीगत समता अंश से पूँजीगत लाभ (₹ 1 लाख तक करमुक्त)	—	
घटाएँ : अल्पकालीन पूँजी हानि पूर्ति	(40,000)	शून्य
शेष ₹ 20,000 की अल्पकालीन पूँजी हानि के आगे ले जाना		
धारा 111A के अन्तर्गत ₹ 10,000 अल्पकालीन पूँजी हानि आगे ले गए		
अन्य स्रोतों से आय :		
लॉटरी से आय	50,000	
कार्ड गेम्स से आय	6,000	
बैंक ब्याज	5,000	61,000
सकल कुल आय		**3,21,000**
हानियाँ जिन्हें A.Y. 2020-21 में आगे ले जाया जाएगा		
लौह–अयस्क व्यवसाय की हानि (₹ 1,20,000 – ₹ 50,000)	70,000	
अल्पकालीन पूँजी हानि (₹ 20,000 + ₹ 10,000)	30,000	

नोट :

1. धारा 10 में निम्नलिखित आय कर मुक्त हैं–
   (i) लाभांश आय [धारा 10(34) में कर मुक्त यह मानते हुए कि लाभांश घरेलू कम्पनी से प्राप्त है।
   (ii) कृषि आय [धारा 10(1) अन्तर्गत कर मुक्त]
2. यह माना गया है कि लौह–अयस्क का व्यवसाय गत वर्ष 2013-14 का है जो बन्द कर दिया गया था।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) **3**

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बत्रा की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

विवरण	₹
अल्पकालीन पूँजीगत हानि	*1,40,000*
सट्टा व्यवसाय से हानि	*60,000*
भूमि की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालीन लाभ	*30,000*
गैर सूची व अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन हानि	*1,,00,000*
वस्त्र व्यवसाय से आय (चालू वर्ष के ह्रास के बाद)	*50,000*
घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव से आय	*15,000*
वेतन से आय (अभिकलित)	*1,00,000*
मकान सम्पत्ति से हानि	*40,000*

निम्नलिखित आगे लाई गई हानियाँ हैं:

(i) A.Y.2017-18 से सम्बन्धित घुड़दौड़ के स्वामित्व व रखरखाव कार्य की हानि ₹ 25,000 आगे लाई गई।

(ii) A.Y. 2012-13 से सम्बन्धित वस्त्र व्यवसाय की हानि आगे लाई गई ₹60,000

श्री बत्रा की A.Y.2020-21 की सकल कुल आय की गणना करें। A.Y 2021-22 के लिए ले जाने योग्य हानियों को भी बताइए।

उत्तर (Answer)

श्री बत्रा की A.Y 2020-21 की सकल कुल आय

विवरण	₹	₹
वेतन	1,00,000	
घटाएँ : मकान सम्पत्ति की चालू वर्ष की हानि	(40,000)	60,000
व्यवसाय पेशे के लाभ		
वस्त्र व्यवसाय की आय	50,000	
घटाया : A.Y.2012-13 से लाई गई वस्त्र व्यवसाय हानि	(60,000)	
व्यवसाय की बकाया हानि A.Y.2012-13 **[देखें नोट 1]**	(10,000)	शून्य
घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव से आय	15,000	
घटाएँ : A. Y. 2017-18 घुड़दौड़ के स्वामित्व एवं रखरखाव से हानि	(25,000)	
A.Y.2020-21 हेतु आगे ले जाने वाली हानि **[देखें नोट 2]**	(10,000)	शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

पूँजीगत लाभ		
अल्पकालीन पूँजी लाभ		1,40,000
भूमि की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	30,000	
घटाएँ : गैर सूचीबद्ध अंशों की बिक्री से दीर्घकालीन हानि	(1,00,000)	
A.Y. 2021-22 को आगे ले जाने वाली हानि **[देखें नोट 3]**	(70,000)	शून्य
सकल कुल आय		**2,00,000**

A.Y.2021-22 हेतु आगे ले जाने वाली हानियाँ

विवरण	₹
सट्टा व्यवसाय की चालू वर्ष की हानि **[देखें नोट 4]**	60,000
गैर सूचीबद्ध अंशों की बिक्री से चालू वर्ष की दीर्घकालीन हानि	70,000
A.Y.2017-18 से सम्बन्धित घुड़दौड़ के रखरखाव एवं स्वामित्व से हानि	10,000

नोट :

(1) धारा 72 (3) के अनुरूप व्यावसायिक हानि को हानि के वर्ष के अधिकतम 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। क्योंकि A.Y.2012-13 की हानि को आगे ले जाने का समय A.Y. 2020-21 में पूरा हो चुका तो शेष अनावशोषित ₹ 10,000 की हानि A.Y.2021-22 में आगे नहीं ले जाकर पूर्ति की जा सकती।

(2) धारा 74A(3) के अनुसार घुड़दौड़ की हानि को केवल घुड़दौड़ के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य स्रोत/शीर्षक की आय से नहीं। ऐसी हानि अगले 4 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं।

(3) दीर्घकालीन पूँजी लाभ जो अंशों की बिक्री से हों तथा जिस पर STT का भुगतान न हुआ हो, वह धारा 10 (38) के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं है। अतः ऐसी हानि की पूर्ति जमीन पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ से हो सकती है। शेष ₹ 70,000 की हानि अल्पकालीन पूँजी लाभ या आय के अन्य शीर्षक से पूरी नहीं हो सकती। इसे पूरा करने के लिए अगले कर–निर्धारण वर्षों में ले जाना होगा। जिसे 8 वर्षों तक ले जाया जा सकता है।

(4) सट्टे व्यवसाय से हानि की पूर्ति सट्टा व्यवसाय के लाभों से ही पूरी हो सकती है लेकिन धारा 73(4) के अनुरूप ऐसी हानि को अगले 4 वर्षों में ही आगे ले जाकर पूरा किया जा सकता है।

प्रश्न (Question) **4**

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए A की सूचना निम्न प्रकार है :

	विवरण	*₹*
(i)	*वाहन चलाने से आय (लेखा–पुस्तकों के अनुसार)* *(पूरे वर्ष 5 वाहन (भारी) रखने पर)*	*3,20,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii)	*कपड़ों के खुदरा व्यापार से आय (लेखा–पुस्तकों के अनुसार) (विक्रय ₹ 1,21,70,000) श्री A कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में पहली बार धारा 44AB के तहत आनुमानिक आधार पर आय घोषित करेंगे।*	*7,50,000*
(iii)	*आगे लाया गया ह्रास (A.Y.2018-19 से सम्बन्धित)*	*1,00,000*

A की कर योग्य आय 2020-21 कर–निर्धारण वर्ष के लिए गणना के कारणों सहित बताइए।

उत्तर (Answer)

A की कर–योग्य आय व A.Y.2020-21 के लिए कर–दायित्व

विवरण	₹
फुटकर व्यापार से आय–लेखा पुस्तक अनुसार **(देखें नोट 1)**	7,50,000
वाहन संचालन से आय (लेखानुसार) **(देखें नोट 2)**	3,20,000
	10,70,000
घटाएं : लाए गए ह्रास की A.Y. 2018-19 की पूर्ति	1,00,000
कुल आय	**9,70,000**
कर दायित्व	1,06,500
जोड़ें : शिक्षा व स्वास्थ्य उपकर @4%	4,260
कुल कर–दायित्व	**1,10,760**

नोट :

1. **फुटकर व्यापार से आय** : यह मानते हुए कि विक्रय राशि नकद प्राप्त हो चुकी है, धारा 44AD के अन्तर्गत विक्रय राशि ₹ 1,21,70,000 का 8% ₹ 9,73,600 प्रकल्पित व्यावसायिक आय है। लेकिन लेखानुसार आय ₹ 7,50,000 है जिसे ₹ 1,00,000 अनावशोषित ह्रास से घटा दिया गया है। क्योंकि लेखानुसार अन्य मानी जाने वाली आय से कम है तो करदाता लेखानुसार आय मान सकता है।

   लेकिन यदि वह प्रकल्पित आय का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे धारा 44AB अन्तर्गत लेखों का अंकेक्षण कराना होगा क्योंकि उसकी बिक्री 1 करोड़ से अधिक है।

2. **Income from playing of light goods vehicles :** Income calculated under section 44AE(1) would be ₹ 7,500 × 12 × 5 which is equal to ₹ 4,50,000. However, the income from plying of vehicles as per books is ₹ 3,20,000, which is lower than the presumptive income of ₹ 4,50,000 calculated as per section 44AE(1). Hence, the assessee can adopt the income as per books *i.e.,* ₹ 3,20,000, provided he maintains books of account as per section 44AA and gets his accounts audited and furnished an audit report as required under section 44AB.

यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों ही मामलों के प्रकल्पित प्रावधानों का विकल्प चुनने पर धारा 30 से 38 की सभी कटौतियाँ जिनके ह्रास भी शामिल हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई कटौती नहीं मिलेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि प्रकल्पित आधार पर कर–निर्धारण विकल्प करदाता चुने तो कुल आय निम्नानुसार होगी :

विवरण	₹
धारा 44AD अन्तर्गत फुटकर व्यापार से आय [₹ 1,21,70,000 @ 8%]	9,73,600
धारा 44AE अन्तर्गत वाहन संचालन से आय [₹ 7,500 × 12 × 5]	4,50,000
	14,23,600
घटाएँ : आगे लाई गयी ह्रास की पूर्ति : यह माना गया है कि इसकी पूर्ति कर ली गई है	शून्य
कुल आय	**14,23,600**
इस पर कर	2,39,580
जोड़ो : स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर @4%	9,583
कुल कर दायित्व	**2,49,163**
कुल कर दायित्व (पूर्णांकित)	**2,49,160**

प्रश्न (Question) **5**

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आदित्य की आय निम्न प्रकार है :

विवरण	*राशि (₹)*
सट्टा व्यवसाय A की हानि	*25,000*
सट्टा व्यवसाय B की आय	*5,000*
धारा 35AD अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय की हानि	*20,000*
वेतन से आय (अभिकलित)	*3,00,000*
मकान सम्पत्ति से हानि	*2,50,000*
व्यापार से आय	*45,000*
शहरी भूमि के विक्रय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	*2,00,000*
अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूँजी हानि (STT भुगतान नहीं)	*75,000*
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री पर दीर्घकालीन हानि (STT भुगतान नहीं)	*1,02,000*

निम्नलिखित आगे लायी गई हानियाँ हैं :

(i) घुड़दौड़ के रखरखाव व स्वामित्व में A.Y.2018-19 की हानि ₹2,000

(ii) A.Y.2015-16 से सम्बन्धित आगे लाई गई व्यापारिक व्यवसाय से हानि ₹5,000

आदित्य की कुल आय व आगे ले जाने योग्य मदों को दिखाइए।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 की आदित्य की कुल आय

विवरण	₹	₹
वेतन		
वेतन से आय	3,00,000	
घटाओ : मकान सम्पत्ति से हानि धारा 71(1) व 71(3A) के अनुरूप की पूर्ति वेतन आय से	2,00,000	1,00,000
व्यवसाय व पेशे के लाभ		
व्यापारिक व्यवसाय से आय	45,000	
घटाएँ : A.Y.2015-16 की लाई गई हानि चालू वर्ष की व्यापारिक आय से धारा 72 (1) के अन्तर्गत पूरी की क्योंकि 8 वर्ष की धारा 72(3) अन्तर्गत जिसकी पूर्ति की सीमा समाप्त नहीं हुई	5,000	40,000
सट्टा व्यवसाय B से आय	5,000	
घटाएँ : सट्टा व्यवसाय A से धारा 73(1) अन्तर्गत पूर्ति	25,000	
सट्टा व्यवसाय A की हानि A.Y.2021-22 में धारा 173(2) में आगे ले जाई गई	20,000	
विशिष्ट व्यवसाय की हानि धारा 35AD अन्तर्गत 73A अनुसार आगे ले गए	20,000	
पूँजी लाभ		
शहरी भूमि के विक्रय पर दीर्घकालीन लाभ	2,00,000	
घटाएँ : अंशों की बिक्री पर दीर्घकालीन हानि (STT भुगतान नहीं) धारा 74(1) अन्तर्गत पूर्ति की	75,000	
घटाएं : सूचीबद्ध अंशों की बिक्री पर दीर्घकालीन हानि जिन पर STT दत्त है उसकी पूर्ति शहरी भूमि पर दीर्घकालीन लाभ से नहीं हो सकती क्योंकि कर मुक्त स्रोत की हानि की पूर्ति कर योग्य स्रोत से नहीं हो सकती।	1,02,000	23,000
कुल आय		**1,63,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

A.Y.2021-22 में आगे ले जाने योग्य मदें

विवरण	₹
मकान सम्पत्ति से हानि (Loss from House property) धारा 71 (3A) अन्तर्गत मकान सम्पत्ति की हानि की पूर्ति अन्य स्रोत से एक वर्ष में केवल ₹ 2 लाख तक की जा सकती है। धारा 71 B अन्तर्गत शेष मकान सम्पत्ति की हानि को अगले वर्षों में मकान सम्पत्ति की आय से ही पूरा किया जा सकता है। इसे 8 कर–निर्धारत वर्षों अर्थात A.Y. 2028-29 तक इस मामले में आगे ले जा सकते हैं।	50,000
सट्टा व्यवसाय A की हानि (Loss from speculative business A) सट्टा व्यवसाय की हानि की पूर्ति अन्य किसी सट्टा व्यवसाय के लाभों से ही हो सकती है। धारा 73(2) के अनुसार शेष हानि को अगले 4 कर निर्धारण वर्षों तक अर्थात् इस मामले में धारा 73(4) अन्तर्गत A.Y.2024-25 तक ले जा सकते हैं।	20,000
विशिष्ट व्यवसाय से हानि (Loss from specified business) धारा 35AD अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय की हानि को अन्य विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से ही पूरा किया जाएगा। यदि ऐसी हानि की पूर्ति न हो तो अगले साल की विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से पूरा किया जाएगा। धारा 73A(2) ऐसी हानि को बिना किसी समय सीमा के आगे ले जाकर पूरा कर सकेंगे।	20,000
घुड़दौड़ के रखरखाव व स्वामित्व क्रिया से होने वाली हानि (Loss from the activity of owning and maintaining race horses) घुड़दौड़ क्रिया की हानि को केवल घुड़दौड़ के लाभों (चालू वर्ष या अग्रानीत) से पूरा कर सकेंगे। यदि चालू वर्ष में पूरी न हो तो अगले 4 कर–निर्धारण वर्षों में पूरा करने के लिए आगे ले जा सकेंगे। इस मामले में धारा 74A(3) अन्तर्गत अर्थात् 2022-23 तक।	2,000

प्रश्न (Question) **6**

श्री गर्ग जो एक निवासी व्यक्ति है अपनी आय के सम्बन्ध में गत–वर्ष 2019-20 के लिए निम्न ब्यौरा देते हैं।

	विवरण	*₹*
(1)	*वेतन से आय (अभिकलित)*	*15,000*
(2)	*व्यवसाय से आय*	*66,000*
(3)	*जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन लाभ*	*10,800*
(4)	*घुड़दौड़ के रखरखाव से हानि*	*15,000*
(5)	*जुए से हानि*	*9,100*

© The Institute of Chartered Accountants of India

अनावशोषित ह्रास व अन्य अग्रानीत हानियों का A.Y.2019-20 से सम्बन्धित ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

	विवरण	*₹*
(1)	*अनावशोषित ह्रास*	*11,000*
(2)	*सट्टा व्यवसाय से हानि*	*22,000*
(3)	*अल्पकालीन पूँजी हानि*	*9,800*

A.Y. 2020-21 के लिए गर्ग की कुल आय तथा वे हानियाँ जिन्हें आगे ले जा सकते हैं, की गणना करें।

उत्तर (Answer)

मि. गर्ग की A.Y. 2020-21 की कुल आय की गणना

	विवरण	₹	₹
(i)	**वेतन से आय**		15,000
(ii)	**व्यवसाय व पेशे के लाभ**	66,000	
	घटाएँ : A.Y. 2019-20 से अग्रानीत अनावशोषित ह्रास	11,000	55,000
	(अनावशोषित ह्रास किसी भी शीर्षक की आय से पूरा हो सकता है)		
	पूँजी लाभ		
	जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,800	
	घटाएँ : अग्रानीत अल्पकालीन हानि		
	[अल्पकालीन पूँजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूँजी लाभों से हो सकती है] धारा 74 (1)	9,800	1,000
	सकल कुल आय		**71,000**

A.Y. 2021-22 में ले जाई जाने वाली हानियों की राशि

	विवरण	₹
(1)	**सट्टा व्यवसाय की हानि (धारा 73 के अनुरूप आगे ले जाने योग्य)** [Loss from speculative business [to be carried forward as per section 73]	22,000
	क्योंकि सट्टा व्यवसाय की हानि अन्य किसी सट्टे व्यवसाय के लाभों से ही पूरी हो सकती है तथा चालू वर्ष में सट्टा व्यवसाय की कोई आय नहीं है तो समस्त ₹ 22,000 की राशि को A.Y 2021-22 के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जा सकेंगे। इस हानि को अधिकतम 4 वर्ष अर्थात A.Y. 2023-24 तक ही आगे ले जाएंगे।	

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2)	**घुड़दौड़ के रखरखाव की हानि** [धारा 74A **अन्तर्गत आगे ले जाना**] [Loss on maintenance of race horses [to be carried forward as per section 74A] धारा 74A (3) के अनुसार घुड़दौड़ की हानि को किसी कर निर्धारण वर्ष में केवल घुड़दौड़ के लाभों से ही पूरा कर सकते हैं। ऐसी हानि को 4 वर्षों तक अर्थात् A.Y. 2024-25 तक आगे ले जा सकेंगे।	15,000
(3)	**जुए की हानि को न तो पूरा कर सकते न ही आगे ले जा सकते** [Loss from gambling can neither be set-off nor be carried forward.]	

प्रश्न (Question) **7**

एक निवासी भारतीय श्रीवासन जिनकी उम्र 57 वर्ष है, 31.3.2020 को समाप्त वर्ष की निम्न आय दर्शाते हैं :

विवरण	*₹*
वेतन से आय	*2,20,000*
मकान सम्पत्ति से हानि	*1,90,000*
कपड़ा व्यवसाय से हानि	*2,40,000*
सट्टा व्यवसाय से आय	*30,000*
धारा 35 AD में वर्णित विशिष्ट व्यावसायिक हानि	*20,000*
शहरी भूमि की बिक्री से दीर्घकालीन लाभ	*2,50,000*
पत्तों के खेल से हानि	*32,000*
शर्त से आय	*45,000*
जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान [10% सुनिश्चित राशि का]	*45,000*

कुल आय की गणना कीजिए व आगे ले जाने योग्य मदें दर्शाइए।

उत्तर (Answer)

A.Y. 2021-22 की श्रीवास्तव की कुल आय की गणना

विवरण	₹	₹
वेतन		
वेतन से आय	2,20,000	
घटाएं : मकान सम्पत्ति से हानि	1,90,000	30,000
व्यवसाय व पेशे के लाभ		
सट्टा व्यवसाय से आय	30,000	
घटाएं : वस्त्र व्यवसाय से हानि पूर्ति	30,000	शून्य

© The Institute of Chartered Accountants of India

पूँजी लाभ		
शहरी भूमि विक्रय से दीर्घकालीन लाभ	2,50,000	
(–) कपड़ा व्यवसाय से हानि पूर्ति	2,10,000	40,000
अन्य स्रोतों से आय		
शर्त से आय		45,000
सकल कुल आय		**1,15,000**
(–) 80C की कटौती (जीवन बीमा प्रीमियम)		30,000
कुल आय		**85,000**

आगे ले जाने वाली हानियाँ

विवरण	₹
(1) कपड़ा व्यवसाय से हानि (₹ 2,40,000 – ₹ 30,000 – ₹ 2,10,000)	शून्य
(2) धारा 35AD अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय हानि	20,000

नोटस :

(i) धारा 35AD अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय की हानि की पूर्ति विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से ही हो सकती है। अतः ऐसी हानि अन्य आय से पूरी नहीं हो सकती। अनावशोषित हानि को विशिष्ट व्यवसाय के अगले वर्ष के लाभों से पूरा करने हेतु आगे ले जाएंगे।

(ii) व्यावसायिक हानि को वेतन आय से पूरा नहीं कर सकते। लेकिन शेष व्यावसायिक हानि ₹ 2,10,000 (₹ 2,40,000 – ₹ 30,000)] जिसकी पूर्ति सट्टा व्यवसाय से की गई है उसे शहरी की भूमि के दीर्घकालीन लाभ से भी पूरा कर सकते हैं। परिणामस्वरूप कर योग्य दीर्घकालीन पूँजी लाभ ₹ 40,000 के होंगे।

(iii) ताश पत्तों के खेल से हानि को न तो पूरा किया जा सकता है और न ही उन्हें आगे ले जाया जा सकता है।

(iv) अध्याय VI-A के अन्तर्गत सकल कुल आय से दीर्घकालीन पूँजी लाभ व आकस्मिक आय घटाते हैं। अतः 80C की बीमा प्रीमियम की कटौती को ₹ 30,000 तक सीमित करना होगा [अर्थात् सकल कुल आय ₹ 1,15,000 – ₹ 40,000 (LTCG) – ₹ 45,000 (आकस्मिक आय)]

(v) शर्तों से आय पर धारा 115BB के अनुरूप 30% दर से कर लगता है। तथा ऐसी आय से कोई व्यय या कटौती नहीं घटा सकते ना ही ऐसी आय से किसी हानि की पूर्ति होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न (Question) **8**

श्रीमान रजत वित्त वर्ष 31 मार्च, 2020 के लिए निम्न सूचना देते हैं वे चाहते कि आय :

(a) कुल आय की गणना करें और

(b) वह राशि निर्धारित करें जिसे आगे ले जा सकते हैं।

	विवरण	*₹*
(i)	*उनके दो मकान हैं*	
	(a) मकान सं. 1– सभी कटौतियों के बाद आय	*72,000*
	(b) मकान सं. 2– चालू वर्ष की हानि	*(30,000)*
(ii)	*एक स्वामित्व व्यवसायों से आय*	
	(a) वस्त्र व्यवसाय	
	(i) 31 अक्टूबर, 2019 से बन्द–चालू वर्ष की हानि	*40,000*
	(ii) A.Y. 2015-16 की लाई हुई हानि	*95,000*
	(b) रासायनिक व्यवसाय	
	(i) 1 मार्च, 2017 से बन्द–न लाभ न हानि	*शून्य*
	(ii) पिछले वर्षों के अशोध्य ऋण–चालू वर्ष में वसूल	*35,000*
	(iii) A.Y. 2017-18 की लाई गई हानि	*50,000*
	(c) लैदर व्यवसाय–चालू वर्ष का लाभ	*1,00,000*
	(d) फर्म में लाभ का हिस्सा जिसमें 2005 से साझेदार	*16,550*
(iii)	*(a) अल्पकालीन पूँजी लाभ*	*60,000*
	(b) दीर्घकालीन पूँजी हानि	*(35,000)*
(iv)	*L.I.C प्रीमियम भुगतान*	*10,000*

उत्तर (Answer)

रजत की कुल आय की A.Y. 2020-21 **की गणना**

विवरण	₹	₹
1. **मकान सम्पत्ति से आय**		
मकान नं. 1	72,000	
मकान नं. 2	(–) (30,000)	42,000
2 **व्यवसाय/पेशे के लाभ**		
लैदर व्यवसाय का लाभ	1,00,000	
अशोध्य ऋणों की वसूली धारा 41 (4) में	35,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर योग्य	1,35,000	
घटाएँ : चालू वर्ष की वस्त्र व्यवसाय की हानि	(–) (40,000)	
	95,000	
A.Y. 2015-16 की लाई गई हानि को चालू वर्ष के लाभ से पूरा किया	95,000	शून्य
3. **पूँजी लाभ**		
अल्पकालीन पूँजी लाभ		60,000
सकल कुल आय		1,02,000
घटाएँ : अध्याय VI A की कटौतियाँ		
80 C- L.I.C प्रीमियम		10,000
कुल आय		**92,000**

A.Y. 2021-22 में ले जाने वाली हानियों का विवरण

विवरण	₹
A.Y. 2017-18 की व्यावसायिक हानि धारा 72 के अन्तर्गत आगे ले जाना	50,000
A.Y. 2020-21 की पूँजीगत हानि धारा 74 के अन्तर्गत आगे ले जाना	35,000

नोटस :

(1) फर्म से लाभ का हिस्सा धारा 10(2A) में ₹ 16,550 कर मुक्त है।

(2) दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति अल्पकालीन पूँजी लाभ से नहीं हो सकती। अतः इसे अगले वर्ष दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा करने के आगे ले जाना होगा।

प्रश्न (Question) **9**

श्रीमती गीता 31.03.2020 को समाप्त वर्ष को निम्नलिखित आयों/हानियों का ब्यौरा देते हैं :

(i) साझेदारी फर्म से वेतन ₹ 7,50,000 यह फर्म को अनुमति योग्य है।

(ii) BSE में अधिसूचित अंशों के विक्रय पर हानि ₹ 3,00,000। अंशों को 15 महीने रखा गया था तथा STT भुगतान किया गया था।

(iii) जमीन की बिक्री पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ ₹ 5 लाख।

(iv) पार्टी के मित्रों से ₹ 51,000 नकद प्राप्त किए।

(v) ₹ 55,000 का लाभांश घरेलू कम्पनी के सूचीबद्ध अंशों पर प्राप्त किया।

(vi) A.Y. 2018-19 की BF हानि ₹ 12,50,000।

श्रीमती गीता की कुल आय A.Y. 2020-21 के लिए तथा उन हानियों को बताइए जिन्हें आगे ले जा सकेंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर (Answer)

A.Y. 2020-21 की श्रीमती गीता की सकल कुल आय की गणना

विवरण		₹
व्यवसाय व पेशे के लाभ		
साझेदारी फर्म से प्राप्त वेतन व्यवसाय व पेशे की आय शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य है		7,50,000
घटाएं : B.f.A.Y. 2018-19 की व्यावसायिक हानि		7,50,000
		शून्य
पूँजी लाभ		
जमीन की बिक्री से दीर्घकालीन पूँजी लाभ	5,00,000	
घटाएं : अंशों की बिक्री से दीर्घकालीन हानि जिस पर STT भुगतान हो चुका है [नोट 2]	3,00,000	2,00,000
अन्य स्रोतों से आय		
दोस्तों से रोकड़ उपहार–क्योंकि नकद उपहार का मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है अतः पूरा कर–योग्य	51,000	
घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश कर मुक्त [10 (34)]	शून्य	51,000
सकल कुल आय		**2,51,000**

नोट्स :

(i) A.Y. 2018-19 की शेष B.F. व्यावसायिक ₹ 5,00,000 हानि को अगले वर्ष ले जायेंगे।

(ii) अंशों के बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत हानि जिन पर अधिग्रहण के समय STT का भुगतान किया जाता है और विक्रय को पूर्ति भूमि की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ से की जाएगी चूंकि अंशों की बिक्री (STT भुगतान) पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ धारा 112A के तहत कर योग्य होगा। इसलिए इसकी पूर्ति धारा 70(3) के अनुसार भूमि की बिक्री पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के अधीन होगा।

प्रश्न (Question) **10**

P एक निवासी व्यक्ति है जिनकी आय का बीते वर्ष 2020-21 का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	विवरण	*₹*
(i)	*वेतन से आय*	*18,000*
(ii)	*मकान सम्पत्ति का शुद्ध वार्षिक मूल्य*	*70,000*
(iii)	*व्यवसाय से आय*	*80,000*
(iv)	*सट्टा व्यवसाय से आय*	*12,000*
(v)	*जमीन बेचने से दीर्घकालीन पूँजी लाभ*	*15,800*
(vi)	*घुड़दौड़ के घोड़ों के रखरखाव पर हानि*	*9,000*
(vii)	*जुए में हानि*	*8,000*

© The Institute of Chartered Accountants of India

आय कर अधिनियम 1961 में कटौती योग्य ह्रास ₹ 8,000 है।

जिसका वर्णन ऊपर नहीं है। अनावशोषित ह्रास व अन्य अग्रानीत हानियों का ब्यौरा A.Y. 2019-20 का निम्न प्रकार है :

	विवरण	*₹*
(i)	*अनावशोषित मूल्यह्रास*	*9,000*
(ii)	*सट्टा व्यवसाय से नुकसान*	*16,000*
(iii)	*अल्पकालिक पूंजीगत हानि*	*8,000*

कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री P की सकल कुल आय की गणना और हानि की राशि जो आगे ले जायी जा सकती है या नहीं।

उत्तर (Answer)

मि. P की A.Y. 2020-21 के लिए सकल कुल आय की गणना

	विवरण	₹	₹
(i)	**वेतन से आय**		18,000
(ii)	**मकान सम्पत्ति से आय**		
	शुद्ध वार्षिक मूल्य	70,000	
	घटाएं : धारा 24 की कटौती (30% of ₹ 70,000)	21,000	49,000
(iii)	**व्यवसाय व पेशे की आय**		
	(a) व्यवसाय की आय	80,000	
	घटाएं : चालू वर्ष का ह्रास	8,000	
		72,000	
	घटाएं : अनावशोषित ह्रास	9,000	63,000
	(b) सट्टा व्यवसाय से आय	12,000	
	[शेष हानि ₹ 4,000 (अर्थात ₹ 16,000 – 12,000)	12,000	शून्य
	को अगले वर्ष आगे ले जा सकेंगे]		
(iv)	**पूँजी लाभ से आय**		
	जमीन के विक्रय पर दीर्घकालीन लाभ	15,800	
	घटाएं : B.F. अल्पकालीन पूँजी लाभ	7,800	8000
	सकल कुल आय		**1,38,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

अगले वर्ष के लिए आगे ले जाने वाली हानि की राशि

विवरण	₹
सट्टा व्यवसाय की हानि (धारा 73 अनुसार cf.)	4,000
घुड़दौड़ की हानि (धारा 74A अनुसार cf.)	9,000

नोटस :

(i) जुए में हानि को न तो पूरा किया जा सकता न आगे ले जाया जाता है।

(ii) धारा 74A(3) के अनुसार घुड़दौड़ की हानियों को घुड़दौड की आय के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत/शीर्षक से पूरा नहीं कर सकते। ऐसी हानि को अधिकतम 4 कर–निर्धारण वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं।

(iii) सट्टा व्यवसाय की हानि सट्टा व्यवसाय के लाभों से पूरा करने के लिए A.Y. 2021-22 को आगे ले जाएंगे। इस हानि को अगले 4 वर्षों तक आगे ले जा सकते हैं। [धारा 73(4)]

आओ दोहराएँ
(LET US RECAPITULATE)

अन्तः स्रोत और अन्तः शीर्षक हानि की पूर्ति (धारा 70 और 71)

धारा	प्रावधान	अपवाद	
70	**आय का समान शीर्ष के तहत हानियों की अन्तःस्रोत पूर्ति** एक स्रोत के सम्बन्ध में कोई हानि, आय के समान शीर्ष के तहत किसी अन्य स्रोत से आय के अधीन पूर्णित होगी। **उदाहरण के लिए** – कपड़ा व्यवसाय से हानि प्रिंटिंग व्यवसाय से लाभ के अधीन पूर्णित होगी। – एक मकान सम्पत्ति से हानि, अन्य मकान सम्पत्ति से आय के तहत पूर्णित होगी। – अल्पकालीन पूँजी हानि, दोनों STCG और LTCG के अधीन पूर्णित हो सकती है।	(i)	सट्टेबाजी के व्यवसाय की हानि केवल अन्य सट्टेबाजी के व्यवसाय के लाभ के अधीन से पूर्णित हो सकती है।
		(ii)	धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि केवल किसी अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभ के अधीन पूर्णित हो सकती है।
		(iii)	दीर्घकालीन पूँजी हानि (LTCL) केवल घुड़दौड़ के मालिक होने और रखरखाव की गतिविधि के अधीन पूर्णित हो सकती है।
		(iv)	घुड़दौड़ के मालिक होने या रखरखाव की गतिविधि से हानि
71	**अन्तःशीर्ष समायोजन** आय के एक शीर्ष के तहत हानि, आय के किसी अन्य शीर्षके तहत निर्धारित आय के अधीन पूर्णित हो सकती है। उदाहरण के लिए, व्यवसायिक हानि,	(i)	व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफा शीर्ष के तहत हानि ''वेतन'' शीर्ष के तहत आय से पूर्णित नहीं हो सकती।
		(ii)	''पूँजीगत लाभ'' शीर्ष के तहत हानि, किसी अन्य शीर्ष के आय के अधीन पूर्णित नहीं हो सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	मकान सम्पत्ति से आय के अधीन पूर्णित हो सकती है।	(iii)	सट्टे से हानि, धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानियाँ और घुड़दौड़ के मालिक और रखरखाव की क्रिया से हानि किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के अधीन पूर्णित नहीं हो सकती।
		(iv)	मकान सम्पत्ति से हानि, अन्य शीर्ष के तहत केवल ₹ 2 लाख की सीमा तक आय के अधीन पूर्णित हो सकती है। बची हुई हानि आने वाले वर्षों में मकान सम्पत्ति से आय के अधीन पूर्णित करने के लिए आगे ले जायी जा सकती है।
हानियाँ जो पूर्णित या आगे नहीं ले जायी जा सकतीं			
जुआ, शर्त, कार्ड गेम आदि से हानि। करमुक्त स्रोतों से हानि (उदाहरण के लिए, साझेदार फर्म की हानि का भाग किसी अन्य व्यवसाय की आय से पूर्णित नहीं हो सकता)			

हानियों को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि और आगे लाई गयी हानियों की पूर्णित करने का तरीका

धारा	आगे ले जाने वाली हानियों की प्रकृति	आय जिनके अधीन आगे ले जायी गयी हानि पूर्णित हो सकती है	अधिकतम अवधि (प्रमुख कर निर्धारण वर्ष के अन्त से) हानियों को आगे ले जाने के लिए
32(2)	अनवशोषित हानि	वेतन के अलावा अन्य शीर्षों के तहत हानि	असीमित अवधि
71B	मकान सम्पत्ति से अनवशोषित हानि	मकान सम्पत्ति से आय	8 कर निर्धारण वर्ष
72	अनवशोषित व्यवसायिक हानि	व्यवसाय या पेशे से लाभ और मुनाफा	8 कर निर्धारण वर्ष
73	सट्टेबाजी के व्यवसाय से हानि	अन्य सट्टेबाजी से व्यवसाय से आय	4 कर निर्धारण वर्ष
73A	धारा 35AD के तहत निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि	अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय से हानि	असीमित अवधि
74	दीर्घकालीन पूँजी हानि	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8 कर निर्धारण वर्ष
	अल्पकालीन पूँजी हानि	अल्पकालीन / दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8 कर निर्धारण वर्ष

© The Institute of Chartered Accountants of India

74A	घुड़दौड़ के मालिक और रखरखाव की क्रिया से हानि	घुड़दौड़ के मालिक और रखरखाव की क्रिया से लाभ	4 कर निर्धारण वर्ष
हानियों की पूर्ति का क्रम			
1.	वैज्ञानिक रिसर्च पर चालू वर्ष ह्रास/चालू वर्ष के पूँजी व्यय और परिवार नियोजन पर चालू वर्ष व्यय, स्वीकृति की सीमा तक		
2.	व्यवसाय/पेशे से आगे लायी गयी हानि [धारा 72(1)]		
3.	अनवशोषित ह्रास [धारा 32(2)]		
4.	वैज्ञानिक रिसर्च पर अनवशोषित पूँजी [धारा 35(4)]		
5.	परिवार नियोजन पर अनवशोषित व्यय [धारा 36(1)(ix)]		
***नोट** : धारा 80 के अनुसार, धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट तिथि के भीतर धारा 139(3) के तहत हानि की विवरण उपर्युक्त हानियों, मकान सम्पत्ति से हानि और अवशोषित ह्रास को छोड़कर, को आगे ले जाने के लिए दाखिल करना अनिवार्य है।*			

स्वयं ज्ञान की जाँच करें
(Test Your Knowledge)

1. *धारा 80 के अनुसार, ऐसी कोई हानि जो धारा 139(3) के अनुरूप विवरणी दाखिल करने के आधार पर निर्धारित न हुई हो, आगे नहीं ले जाई जाएगी इसका अपवाद है।*

   (a) धारा 73A अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय की हानि

   (b) पूँजी लाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानि व धारा 32(2) के अन्तर्गत आगे ले जाया गया अनावशोषित ह्रास

   (c) मकान सम्पत्ति से हानि व धारा 32(2) में c.f. अनावशोषित ह्रास

   (d) धारा 73 अन्तर्गत सट्टा व्यवसाय की हानि

2. *धारा 70 में एक शीर्षक के स्रोत की हानि पूर्ति उसी शीर्षक के अन्य स्रोत से हो सकेगी इसके अपवाद हैं*

   (a) पूँजी लाभ, सट्टा व्यवसाय, मकान सम्पत्ति एवं दौड़ के घोड़ों से सम्बन्धित स्वामित्व एवं रखरखाव की हानियाँ

   (b) दीर्घकालीन पूँजी हानि, सट्टा व्यवसाय की हानि, विशिष्ट व्यवसाय की हानि व घोड़े स्वामित्व व रखरखाव की हानियाँ

   (c) अल्पकालीन पूँजी हानि तथा विशिष्ट व्यवसाय की हानि

   (d) विशिष्ट व्यवसाय की हानि व अल्पकालीन पूँजी हानि

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. *X की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंश जिनके क्रय–विक्रय पर SST भुगतान किया हो, उनके विक्रय से दीर्घकालीन हानि को*

   (a) केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से पूरा किया जा सकेगा।

   (b) दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूँजी लाभों से पूर्ति हो सकेगी।

   (c) किसी भी शीर्षक की आय की पूर्ति सम्भव है

   (d) पूर्ति की अनुमति नहीं

4. *सट्टा व्यवसाय की हानि को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि*

   (a) 4 वर्ष

   (b) 8 वर्ष

   (c) असीमित

   (d) आगे ले जाने की अनुमति नहीं

5. *A को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अंशों की बिक्री पर ₹ 10,000 की अल्पकालीन पूँजी हानि*

   (a) केवल अल्पकालीन पूँजी लाभों से ही पूर्ति सम्भव

   (b) अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के पूँजी लाभों से पूर्ति संभव

   (c) किसी भी शीर्षक की आय से पूर्ति संभव

   (d) पूर्ति की अनुमति नहीं

6. *विशिष्ट व्यवसाय से हानि को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि*

   (a) 4 वर्ष

   (b) 8 वर्ष

   (c) असीमित

   (d) आगे ले जाने की अनुमति नहीं

7. *A.Y. 2019-20 में ₹ 3,10,000 की मकान सम्पत्ति से हानि को A.Y. 2020-21 की ₹ 5 लाख की आय से पूर्ति करने की सीमा है;*

   (a) 2,00,000

   (b) सम्पूर्ण 3,10,000

   (c) ₹ 2,50,000

   (d) ₹ 1,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. धारा 35AD अन्तर्गत विशिष्ट व्यवसाय की किसी भी हानि को निम्न से पूरा किया जा सकेगा

(a) करदाता के विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से

(b) करदाता के किसी भी व्यवसाय के लाभों से

(c) करदाता के अन्य किसी विशिष्ट व्यवसाय के लाभों से

(d) अन्य किसी शीर्षक की आय से

9. चालू वर्ष की व्यावसायिक हानि को पूरा नहीं कर सकते

(a) व्यावसायिक आय के अतिरिक्त अन्य किसी आय से

(b) दीर्घकालीन पूँजी लाभ

(c) दीर्घकालीन पूँजी लाभ या अल्पकालीन पूँजी लाभ

(d) वेतन आय

10. मकान सम्पत्ति से आगे लायी गई हानि की पूर्ति संभव है

(a) किसी भी शीर्षक की आय से ₹ 2 लाख तक

(b) मकान सम्पत्ति की आय से ₹ 2 लाख तक

(c) मकान सम्पत्ति की आय से असीमित

(d) किसी भी शीर्षक की आय से असीमित

उत्तर (Answer)

1. (c), **2.** (b), **3.** (a), **4.** (a), **5.** (b), **6.** (c), **7.** (b) **8.** (c), **9.** (d), **10.** (c)

© The Institute of Chartered Accountants of India